

भाग IV

हरियाणा सरकार

वन विभाग

शुद्धि पत्र

दिनांक 4 मार्च, 2005

हरियाणा सरकार राजपत्र दिनांक 13 मई, 1997 में, प्रकाशित हरियाणा सरकार, वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, अधिसूचना संख्या सा०/का०/नि० 30/ संवि०/अनु० 309/97, दिनांक 23 अप्रैल, 1997 में, मूल हिन्दी पाठ में, हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग लिपिकीयवर्ग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1997 में,—

(i) परिशिष्ट क में,—

“परिशिष्ट क

[देखिए नियम 3]

क्र० सं०	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	
1.	अधीक्षक	—	1	1	2,000-60-2,300-ई०वी०-75- 3,200-100-3,500 रुपये”

के स्थान पर,

“परिशिष्ट क

[देखिए नियम 3]

पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
	स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5
अधीक्षक	—	1	1	2,000-60-2,300-ई०वी०-75- 3,200-100-3,500 रुपये”

पढ़ा जाए।

(ii) परिशिष्ट ख में,—

“परिशिष्ट ख

[देखिए नियम 7]

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	अधीक्षक	—	उप अधीक्षक के पद पर तीन वर्ष का अनुभव”

के स्थान पर,

“परिशिष्ट ख

[देखिए नियम 7]

पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3
अधीक्षक	—	उप अधीक्षक के पद पर तीन वर्ष का अनुभव”

पढ़ा जाए।

(iii) परिशिष्ट ग में,—

“परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7

1. अधीक्षक सरकार 1. छोटी शास्तियां—

(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ;

(ii) परिनिन्दा ;

(iii) पदोन्नति रोकना ;

(iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा मुख्य वन्य प्रशासनिक सरकार केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार प्राणी वार्डन, सचिव को या ऐसी कम्पनी, तथा संगम तथा हरियाणा । व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान-मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी हानि पूरी की या उसके भाग की वेतन से वसूली ;

(v) संचयी प्रमाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना ।

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

2. बड़ी शास्तियां—

- (vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना ;
- (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;
- (viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी ऐसा जिस ग्रेड, अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा ;
- (ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;
- (x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;
- (xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यता निरर्हता होगी । ”

के स्थान पर,

“परिशिष्ट ग

{देखिए नियम 14(1)}

पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6

अधीक्षक

सरकार

1. छोटी शास्तियां—

- (i) वैयक्तिक फाईल (आवरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ; मुख्य वन्य प्राणी वार्डन प्रशासनिक सरकार सचिव
- (ii) परिनिन्दा ;
- (iii) पदोन्नति रोकना ;
- (iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी, तथा संगम तथा व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान-मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ;
- (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना।

2. बड़ी शास्तियां—

- (vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां सरकार रोकना ;

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

- (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;
- (viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी ऐसा जिस ग्रेड, अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा ;
- (ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;
- (x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;
- (xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यता निरर्हता होगी ।”

पदा जाए।

(iv) परिशिष्ट घ में,—

“परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
1.	अधीक्षक	(क) पेंशन को नियमित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/ अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ; (ख) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति । ”	सरकार	—	—

के स्थान पर,

“परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14(2)]

पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5
अधीक्षक	(क) पेंशन को नियमित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/ अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ; (ख) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति । ”	सरकार	—	—

पढ़ा जाए । ”।

एल० एस० एम० सालिन्स,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

FOREST DEPARTMENT

CORRIGENDUM

The 4th March, 2005

In Haryana Government, Wild Life Preservation Department, Notification No. G. S. R. 30/ Const./Art. 309/97, dated the 23rd April, 1997, published in Haryana Government Gazette, dated the 13th May, 1997, in its authorised English translation, in the Haryana Wild Life Preservation Department Ministerial (Group B) Service Rules, 1997,—

- (i) in rule 14, sub rule (2), for "Appendix B", read "Appendix D";
(ii) for

"APPENDIX C

[see rule 14(1)]

Designation of posts	Appointing Authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and Final Appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6

Minor Penalties :

Superintendent Government	(i) Warning with a copy on the personal file (character roll); (ii) Censure ; (iii) Withholding of promotions ; (iv) Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence of breach of orders to the Central Government or a State Government or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to local	Chief Wildlife Warden	Administrative Secretary	Government	
---------------------------	--	-----------------------	--------------------------	------------	--

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State;

- (v) withholding of increments of pay without cumulative effect;

Major Penalties :

- (vi) withholding of increments of pay with cumulative effect;
- (vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;
- (vii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employees to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;

1	2	3	4	5	6
		(viii) compulsory retirement ;			
		(ix) removal from service which shall not be a disqualification for further employment under the Government ;			
		(x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government .”			

read

“APPENDIX C

[see rule 14(1)]

Designation of posts	Appointing Authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and Final Appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6

Minor Penalties :

Superintendent Government	(i) Warning with a copy on the personal file (character roll);	Chief Wildlife Warden	Administrative Secretary	Government	
	(ii) Censure ;				
	(iii) Withholding of promotions ;				
	(iv) Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence of breach of orders to the Central Government or a State Government or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is				

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

wholly or substantially owned or controlled by the Government or to local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State;

- (v) Withholding of increments of pay without cumulative effect;

Major Penalties :

- (vi) Withholding of increments of pay with cumulative effect; Government — —
- (vii) Reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;
- (viii) Reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employees to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which

1

2

3

4

5

6

the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post of service;

- (ix) Compulsory retirement ;
- (x) Removal from service which shall not be a disqualification for further employment under the Government ;
- (xi) Dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government."

L. S. M. SALINS,
Financial Commissioner and Principal
Secretary to Government Haryana,
Forest Department.